कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखंड

"ऑडिट भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक:पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/द्वि०रा०न्यायिक/डी०आर०-05/2026-27/ 110 दिनांक27/04/2026

EV920647371IN

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	781029
4	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I	उत्तरप्रदेश	प्रयागराज	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II गोमती नगर	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

Office of the Pr. Accountant General (A&E) INWARD 06 MAY 2026 Andhra Pradesh, Vijayawada 520 002.

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.)

"ऑडिट भवन" कौलागढ़ देहरादून-248195

(फोन:- 0135-2970866,2970867, फैक्स:- 0135-2970859,2970865)

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/द्वि०रा०न्यायिक/डी०आर०-05/2026-27/ दिनांक: /04/2026

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

समस्त प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय- मा० द्वित्तीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सस्तुति के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनाकं: 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृतक लाभ अनुमान्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किया जाना|

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धित उत्तराखण्ड राज्य सरकार के शासनादेश संख्या: 382/XXXVI-A-1/2023-261/2022 दिनांक:08 सितम्बर 2023 के साथ पठित संलग्न शुद्धि पत्र सं०-133/XXXVI-A-1/2026-261/2022 (E-97127) दिनांक:08.04.2026 में वर्णित बिन्दुओ पर अवलोकन करते हुए कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें|

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या– 133/XXXVI-A-1/2026-261/2022 (E-97127)
देहरादून, दिनांकः 08 अप्रैल, 2026

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) डायरी सं. 41689 16 APR 2026 हस्ताक्षर उत्तराखण्ड देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किये जाने विषयक न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0-- 382/XXXVI-A-1/2023-261/2022 दिनांकः 08.09.2023 में निर्गत किया गया। उक्त शासनादेश में राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता राहत अनुमन्य होगा का उल्लेख नहीं था।

2– उक्त शासनादेश सं0– 382/XXXVI-A-1/2023-261/2022 दिनांकः 08.09.2023 के प्रस्तर 2 के उप प्रस्तर (i) पेंशन/पारिवारिक पेंशनः– विषय के अन्तर्गत बिन्दु (क) के प्रावधान के पश्चात निम्नानुसार प्राविधान पढ़ा जायेगाः–

"उक्तानुसार देय पेंशन पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशानुसार मंहगाई राहत भी अनुमन्य होगी।"

3– शासनादेश सं0– 382/XXXVI-A-1/2023-261/2022 दिनांकः 08.09.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत् रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के ई जनरेट सं0– I/385550/2026 दिनांकः 07.04.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
Amit Kumar Sirohi
Date: 08-04-2026
12:42:47

(अमित कुमार सिरोही)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या– 133(1)/XXXVI-A-1/2026-261/2022(E-97127)तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबंधक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

डाक अनुभाग डायरी सं. 25 दिनांक 15-04-26

वरि. उप महालेखाकार (प्रशा. व ले.) प्रकोष्ठ ए.जी./डी.ए.जी. डायरी सं. 261 दिनांक 15/04/26

5. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
9. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
10. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
11. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
12. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
13. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
14. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड लोक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।
15. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड ।
16. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखंड।
17. अध्यक्ष, उत्तराखंड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
18. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
19. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून / हल्द्वानी।
20. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
21. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
22. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
23. वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, "ऑडिट भवन" कौलागढ़, देहरादून को उनके पत्रांकः 1335, दिनांकः 22.12.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
24. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
25. वित्त अनुभाग–5 / वित्त अनुभाग–7 / वित्त अनुभाग–10 / कार्मिक अनुभाग–4 / न्याय अनुभाग–2 / न्याय अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
26. गार्ड फाइल।

भवदीय,

Digitally signed by
Manish Kumar Pandey
Date: 08-04-2026
13:17:59

(मनीष कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

P-257

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या–382/XXXVI-A-1/2023-261/2022
देहरादून, दिनांकः 08 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषय– मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किया जाना।

1. मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये है।
2. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में "द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग" की संस्तुति के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान निम्नवत किया जाय–

i. <u>पेंशन/पारिवारिक पेंशनः–</u>

(क) दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन का 50% एवं 30% क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) दिनांक 09.11.2000 के बाद एवं दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत न्यायिक अधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्न दो सूत्रों के अनुसार किया जायेगाः–

a) **प्रथम सूत्रः–** दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि में 2.81 के स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

b) **दूसरा सूत्रः–** सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में प्राप्त अनुवर्ती वेतन समितियों की संस्तुति के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में मूल वेतन का वैचारिक निर्धारित करते हुए दिनांक 01.01.2016 को देय पेंशन (मूल वेतन का 50%) पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 30%) का निर्धारण किया जायेगा। उपर्युक्त दोनों सूत्रों में से जो अधिक लाभकारी होगा वही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

ii. मृत्यु–सह सेवानिवृत्ति उपादानः--

(क) मृत्यु–सह सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये होगी। यह अधिसीमा 25% तक बढ़ाई जायेगी जब महँगाई भत्ता मूल वेतन का 50% होगी।

(ख) मृत्य उपदानः--

सेवा अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 02 (दो) गुणा
एक वर्ष से अधिक पर 05 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 06 (छः) गुणा
05 वर्ष से अधिक पर 11 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 (बारह) गुणा
11 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 20 (बीस) गुणा
20 वर्ष से अधिक	पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों का आधा, जो परिलब्धियों के 33 गुणा से अधिक न हो। दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये होगी।

iii. अतिरिक्त पेंशन की राशिः--

न्यायिक सेवा के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से निम्न प्रकार लागू होंगेः--

क्र0 सं0	पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी की आयु	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1	75 वर्ष से अधिक एवं 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
2	80 वर्ष से अधिक एवं 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
3	85 वर्ष से अधिक एवं 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
4	90 वर्ष से अधिक एवं 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60%
5	95 वर्ष से अधिक एवं 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80%
6	100 वर्ष एवं उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

पूर्व प्रावधानों के अनुसार यदि किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (70 से 75 वर्ष) को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया गया है, तो उसकी वसूली नहीं की जायेगी।

iv. विविधः--

(क) पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता हेतु आश्रित पारिवारिक सदस्यों की आय रू0 30,000/– (तीस हजार रूपये) प्रतिमाह से कम होनी चाहिए।

(ख) सेवावधि में मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की तिथि से अगले 10 वर्षों तक वृद्धित दर पर पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 50%) अनुमान्य होगी। सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु की स्थिति में मृत्यु तिथि से 07 वर्षों तक या उस तिथि तक जब तक सरकारी सेवक की आयु 67 वर्ष हो, यदि जीवित होता, दोनों में से जो पहले हो, वृद्धित दर पर पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 50%) अनुमान्यता होगी।

P-255

2023

(ग) The benefits of number of years of practice at bar subject to maximum of wightage of ten years will be given to direct recruits of HJS who retired prior to 01-01-2016

v. उपर्युक्त प्रावधान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे एवं भुगतान दिनांक 01.07.2023 से किया जायेगा। पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया राशि (दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2023 तक) का भुगतान निम्नवत किया जायेगाः—

(क) कुल बकाया राशि का 25% का भुगतान दिनांक 31.08.2023 तक किया जायेगा।

(ख) कुल बकाया राशि का 25% का भुगतान दिनांक 31.10.2023 तक किया जायेगा।

(ग) कुल बकाया राशि का 50% का भुगतान दिनांक 31.12.2023 तक किया जायेगा।

3. पेंशन/सेवांत लाभों से सम्बन्धित लागू प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. यह कार्यालय ज्ञाप वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–I/152341/2023 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Sudhir Kumar Singh
Date: 08-09-2023 12:15:21
(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 382 (1) /XXXVI-A-1/2023-261/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
9. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
10. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
11. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
13. निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
14. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
15. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
16. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
17. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
18. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून/हल्द्वानी।
19. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

52443/2023

20. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
21. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
22. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. वित्त अनुभाग–5 / वित्त अनुभाग–7 / वित्त अनुभाग–10 / कार्मिक अनुभाग–4 / न्याय अनुभाग–2 / न्याय अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
24. श्री सुदर्शन सिंह रावत / सुश्री वंशजा शुक्ला, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सिविल रिट याचिका सं0–643 / 2015 ऑल इण्डिया जजेस ऐसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 के क्रम में।
25. गार्ड फाईल / एन0आई0सी0।

Signed by Ashok Kumar
Date: 08-09-2023 12:17:56

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव।